

बिहार सरकार  
श्रम संसाधन विभाग  
अधिसूचना


एस0ओ0-

पटना, दिनांक-

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 60 के अन्तर्गत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में अधिसूचित, अधिसूचना -सह- पट्टित झापांक-बी0सी0डब्लू0सी0-150/2015 श्र0सं0-54 दिनांक- 02.02.2016 एवं क्रमशः बी0सी0डब्लू0सी0- 62/2014 श्र0सं0-34 दिनांक- 16.01.2017 को इस हद तक संशोधित किया जाता है, कि अटल पेंशन योजना अन्तर्गत 18 से 40 वर्ष के उम्र सीमा के अधीन पात्रता रखने वाले निबंधित निर्माण श्रमिकों को 60 वर्ष की उम्र के बाद रू0 1000/- (रुपये एक हजार) प्रतिमाह पेंशन पाने हेतु सम्पूर्ण प्रीमियम की राशि का भुगतान बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम संसाधन विभाग, बिहार के द्वारा ही किया जाएगा।

अधिसूचना की शेष कंडिका पूर्ववत् रहेगी।

बी0सी0डब्लू0सी0-62/2014 श्र0सं0- 75 पटना, दिनांक- 05.02.2018  
बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
(के0 सेन्थिल कुमार) भा.प्र.से.  
सरकार के अपर सचिव,  
श्रम संसाधन विभाग, बिहार

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी एक-एक प्रति प्रत्येक सदस्य तथा व्यक्ति को अग्रसारित किया जाय।

अधिसूचना


एस0ओ0-

पटना, दिनांक-

का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्य के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

बी0सी0डब्लू0सी0-62/2014 श्र0सं0- 75 पटना, दिनांक- 05.02.2018

बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
(के0 सेन्थिल कुमार) भा.प्र.से.  
सरकार के अपर सचिव,  
श्रम संसाधन विभाग, बिहार

**Government of Bihar**  
**Labour Resource Department**  
**Notification**

S.O.-

Patna, dated-

Notification read with memo no. BCWC-150/2015 L.R.-54 dated 02.02.2016 and BCWC-62/2014 L.R.-34 dated 16.01.2017, issued in pursuance of the order of Ministry of Labour and Employment, Government of India under section 60 of Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Service) Act 1996 is hereby amended to the extent that the total amount of premium will be paid by the Bihar Building and Other Construction Workers Welfare Board, Labour Resources Department Bihar its self, for the pension of eligible Registered Construction Workers, of age group between 18 and 40 years and get pension Rs. 1000/- per month under Atal Pension Scheme after completion of 60 years of age.

Rest of the para of said notification will remain same.

(No. BCWC-62/2014 LR- 75 )

By order of the Government of Bihar,


  
(K. Senthil Kumar) I.A.S  
Additional Secretary.

Labour Resources Department, Bihar

ज्ञापक-बी०सी०डब्लू०सी०-62/2014 श्र०सं०- 75


प्रतिलिपि :- ई-गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक- 05.02.2018

  
(के० सेन्थिल कुमार) भा.प्र.से.  
सरकार के अपर सचिव,  
श्रम संसाधन विभाग, बिहार


ज्ञापक-बी०सी०डब्लू०सी०-62/2014 श्र०सं०- 75 पटना, दिनांक- 05.02.2018

प्रतिलिपि :- सरकार के सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
(के० सेन्थिल कुमार) भा.प्र.से.  
सरकार के अपर सचिव,  
श्रम संसाधन विभाग, बिहार

ज्ञापक-बी०सी०डब्लू०सी०-62/2014 श्र०सं०-75 पटना, दिनांक- 05.02.2018

प्रतिलिपि :- आईटी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(के० सेन्थिल कुमार) भा.प्र.से.  
सरकार के अपर सचिव,  
श्रम संसाधन विभाग, बिहार